

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-09/उपा0बीज0अनु0-60/2019

दिनांक

2019

कार्यालय आदेश

मेसर्स अर्चना हाइब्रीड सीड, नियर कौशल्या हॉस्पिटल, शितला माता मंदिर रोड, अगमकुआँ, पटना के बीज अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रतिष्ठान से प्राप्त प्रपत्र-‘ए’, कोषागार चलान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए राज्य स्तरीय बीज अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

राज्य स्तरीय बीज अनुज्ञप्ति संख्या-...06...दिनांक...18.11.2019

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र-‘बी’ में अनुज्ञप्ति संख्या...06/2019...संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित संलग्न सूची के अनुसार ही बीज का व्यापार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि...17.11.2022...तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संचिका संख्या-09/उपा0बीज/अनु0-60/2019 के पृष्ठ 4/टि0 पर दिनांक 07.11.2019 के प्रस्ताव में कृषि निदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
अनु0:-यथोक्त।

ह0/—

(डॉ0 ब्रजेश कुमार),
संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-.....


/कृ0, पटना, दिनांक

2019

प्रतिलिपि मेसर्स अर्चना हाइब्रीड सीड, नियर कौशल्या हॉस्पिटल, शितला माता मंदिर रोड, अगमकुआँ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—

(डॉ0 ब्रजेश कुमार),
संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।



FORM 'B'

(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No06..... Date18.11.2019.....


Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स अर्चना हाइब्रीड सीड is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business, नियर कौशल्या हॉस्पिटल, शितला माता मंदिर रोड, अगमकुआँ, पटना the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Sale	Place of Storage
मेसर्स अर्चना हाइब्रीड सीड, नियर कौशल्या हॉस्पिटल, शितला माता मंदिर रोड, अगमकुआँ, पटना	मेसर्स अर्चना हाइब्रीड सीड, नियर कौशल्या हॉस्पिटल, शितला माता मंदिर रोड, अगमकुआँ, पटना
उत्तर - 12 फीट सड़क	उत्तर - 12 फीट सड़क
दक्षिण - पासवान जी का गोदाम	दक्षिण - पासवान जी का गोदाम
पूरब - श्री महेन्द्र प्रसाद का गोदाम	पूरब - श्री महेन्द्र प्रसाद का गोदाम
पश्चिम - श्री राधे लाल का गोदाम	पश्चिम - श्री राधे लाल का गोदाम

Date :


Seal :


(Dr. Brajesh Kumar)

Joint Director (Agronomy) Input
Signature of the Licensing Officer Seal
Authority vide order of Director Agriculture
on dated 18.11.19 in file No. 09/Input.Seed.Lic.-
60/2019 Note Sheet page No-...4....

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto.....17.11.2022..... Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).


(Dr. Brajesh Kumar)

Joint Director (Agronomy) Input
Signature of the Licensing Officer Seal
Authority vide order of Director Agriculture
on dated in file No. 09/Input.Seed.Lic.-
60/2019 Note Sheet page No-.....

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स अर्चना हाइब्रीड सीड द्वारा व्यवसाय किये जाने वाले बीजों की सूची

पत्रांक: 5553

दिनांक: 18.11.2017

LIST OF SEED

SR. NO.	CROP	VARIETIES
1	Paddy	MTU-7029, MTU-1001, MTU-1010, BPT-5204

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।



(डॉ० ब्रजेश कुमार),
संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

